



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862/ CIN : L65910DL1986GOI024862

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001, भारत

Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110001, India

दूरभाष सं.: +91 11 23556000, फैक्स: +91 11 23512545,

Tel: +91 11 23556000, Fax: +91 11 23512545,

ई-मेल आईडी/Email id: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट/ Website: www.pfcindia.com

सूचना/NOTICE

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए **बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** आयोजित की जाएगी:-

Notice is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting of the members of Power Finance Corporation Limited will be held on **Wednesday, the September 21, 2022 at 11:30 A.M.** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:-

सामान्य कार्यवाही/ORDINARY BUSINESS

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना

To receive, consider and adopt:

- क) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

the Standalone Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022 including the Audited Balance Sheet as on March 31, 2022 and the Statement of Profit & Loss for the year ended on that date and the Reports

of the Board of Directors, Statutory Auditor and Comptroller and Auditor General of India thereon.

ख) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

the Consolidated Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022 including the Audited Balance Sheet as on March 31, 2022 and the Statement of Profit & Loss for the year ended on that date and the Reports of Statutory Auditor and Comptroller and Auditor General of India thereon.

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

To confirm the payment of Interim Dividend and declare Final Dividend on Equity Shares for the financial year 2021-22.

3. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं के लिए प्रस्ताव किया है।

To appoint a Director in place of Smt. Parminder Chopra (DIN: 08530587), who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.

4. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

To fix the remuneration of the Statutory Auditors.

विशेष कार्यवाही/ SPECIAL BUSINESS

5. कंपनी के निदेशक के रूप में, श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन:03523954) की नियुक्ति करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उचित पाए जाते हैं, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

To appoint Shri Rajiv Ranjan Jha (DIN:03523954), as Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन:03523954), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के पत्र सं. 24-8/1/2020-पीएफसी (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था और

उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, 28 अक्टूबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया जाता है”

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Shri Rajiv Ranjan Jha (DIN:03523954), who was appointed as Director (Projects), by the President of India through Ministry of Power vide letter no. 24-8/1/2020-PFC (MoP) dated October 28, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, appointed as an Additional Director by the Board of Directors with effect from October 28, 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as Director (Projects) of the Company, on terms & conditions determined by the Govt. of India from time to time.”

6. कंपनी के निदेशक के रूप में, श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन:09406292) की नियुक्ति करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उचित पाए जाते हैं, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

To appoint Shri Bhaskar Bhattacharya (DIN:09406292), as Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन:09406292), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है”

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Shri Bhaskar Bhattacharya (DIN:09406292), who was appointed as part-time Non Official Director, by the President of India through Ministry of Power vide letter no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the

recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, appointed as an Additional Director (part-time Non Official Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as part-time Non Official Director (Independent Director) of the Company, on terms & conditions determined by the Govt. of India from time to time.”

7. कंपनी के निदेशक के रूप में, श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन:09408454) की नियुक्ति करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उचित पाए जाते हैं, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

To appoint Smt. Usha Sajeev Nair (DIN:09408454), as Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन:09408454), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतदद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है”

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Smt. Usha Sajeev Nair (DIN:09408454), who was appointed as part-time Non Official Director, by the President of India through Ministry of Power vide letter no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, appointed as an Additional Director (part-time Non Official Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as part-time Non Official Director (Independent Director) of the Company, on terms & conditions determined by the Govt. of India from time to time.”

8. कंपनी के निदेशक के रूप में, श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन:06471864) की नियुक्ति करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उचित पाए जाते हैं, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

To appoint Shri Prasanna Tantri (DIN:06471864), as Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन:06471864), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था, को एतद्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाता है”

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Shri Prasanna Tantri (DIN:06471864), who was appointed as part-time Non Official Director, by the President of India through Ministry of Power vide letter no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, appointed as an Additional Director (part-time Non Official Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as part-time Non Official Director (Independent Director) of the Company, on terms & conditions determined by the Govt. of India from time to time.”

9. कंपनी के संगम-ज्ञापन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

To change Object Clause of the Memorandum of Association of the Company and in this regard to consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special resolution**:

“संकल्प किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय के 25 अगस्त, 2022 के पत्र सं. एफ.नं.24-3/2/2019-पीएफसी (एमओपी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, सहित इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य लागू कानून और यथा अपेक्षित अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध के अनुसरण में, *‘उद्देश्य जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है’ शीर्षक के खंड III(ए)*


में निम्नलिखित नए उप-खंड 7 को सम्मिलित करके कंपनी के संगम-ज्ञापन को बदलने के लिए कंपनी की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

“**RESOLVED THAT** pursuant to approval of Ministry of Power vide letter no. F.No.24-3/2/2019-PFC (MoP) dtd. 25th August, 2022, Section 13 & other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 including Rules made thereunder as well as any other applicable laws for the time being in force & such other approvals, permissions and sanctions, as may be necessary, the consent of the Company be and is hereby accorded to alter the Memorandum of Association of the Company by insertion of following new sub-clause 7 in *Clause III(A) titled 'Objects for which the Company is established'*:-

7. भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक रसद (लोजिस्टिक्स) और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना।”

7. To lend to Logistics and Infrastructure sectors to the extent permitted by the Government of India.”

आदेशानुसार निदेशक मंडल By order of the Board of Directors



मनोहर बलवानी Manohar Balwani
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
CGM & Company Secretary

पंजीकृत कार्यालय /Registered office:

ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन/ Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane

कनॉट प्लेस/Connaught Place

नई दिल्ली/ New Delhi- 110001

सीआईएन/CIN: L65910DL1986GOI024862

दिनांक/ Date: 29.08.2022

टिप्पणी/ NOTES:-

1. कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021 और 14 दिसंबर, 2021 के परिपत्रों के साथ पठित 5 मई, 2022 के अपने परिपत्र (सभी मिलकर 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में उल्लिखित) तथा सेबी ने 13 मई, 2022 के परिपत्र द्वारा एक साझा स्थान पर सदस्यों की वास्तविक मौजूदगी के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "बैठक") आयोजित करने की

अनुमति प्रदान की है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs has, vide its circular dated May 5, 2022 read with Circulars dated May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 and December 14, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI vide circular dated May 13, 2022, permitted convening the Annual General Meeting ("AGM" / "Meeting") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.

2. कंपनी ने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 36वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए अनुदेश आगामी पैरा में दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होगी।

The Company has enabled the Members to participate at the 36th AGM through the VC facility provided by KFin Technologies Limited (KFinTech), Registrar and Share Transfer Agents (RTA). The instructions for participation by Members are given in the subsequent paragraphs. Participation at the AGM through VC shall be allowed on a first-come-first-served basis.

3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

As per the provisions under the MCA Circulars, Members attending the 36th AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग 18 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और 20 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। केफिनटेक द्वारा 20 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5.00 बजे ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। ई-वोटिंग की

प्रक्रिया अगले पैरा में दी गई है। यह ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के अतिरिक्त है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही 36वीं वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

The Company is providing the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting during the AGM. The remote e-voting period shall commence at 10.00 a.m. on September 18, 2022 and will end at 5.00 p.m. on September 20, 2022. The e-voting module shall be disabled by KFintech at 5.00 p.m. on September 20, 2022. The process of remote e-voting is given in the subsequent paragraphs. Such remote e-voting facility is in addition to voting that will take place at the 36th AGM being held through VC.

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले नहीं डाला है, उन्हें एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना वोट देने का हक नहीं होगा।

Members joining the meeting through VC, who have not already cast their vote by means of remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote through e-voting at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also join the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again.

एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य वोटिंग के केवल सिंगल मोड का ही चयन कर सकता है अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग मान्य होगी और एजीएम के समय दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।

Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. A Member can opt for only single mode of voting i.e. through Remote e-voting or voting at the AGM. If a Member casts votes by both modes then voting done through Remote e-voting shall prevail and vote at the AGM shall be treated as invalid.

6. कंपनी ने बृहस्पतिवार, 15 सितंबर, 2022 की तारीख का निर्धारण 36वीं एजीएम में की जाने वाली कार्यवाही की मर्दों के संबंध में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तारीख के रूप में की है।

The Company has fixed Thursday, September 15, 2022 as the Cut-off date for determining the eligibility to vote in respect of items of business to be transacted at the 36th AGM.

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, निर्धारित तारीख के अनुसार दर्ज किया गया है, उसे रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। वोटिंग का अधिकार नियत तारीख के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की

संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल तभी वोट देने के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास इस समय धारित शेयर हों। कृपया यह नोट करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियत तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में माने।

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. The voting rights shall be as per the number of equity share held by the Member(s) as on cut-off date. Members are eligible to cast vote only if they are holding shares as on that date. Kindly note that a person who is not a member of the Company as on the Cut-off date should treat this Notice for Information Purposes Only.

7. कंपनी ने श्री अमित अग्रवाल, प्रोपराइटर, मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, (एफसीएस सं.: 5311, सी.पी. सं.: 3647) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

The Company has appointed Shri Amit Agarwal, Proprietor, M/s Amit Agarwal & Associates, Company Secretaries (FCS No.: 5311, C.P No.: 3647) to act as the Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

8. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है। चूंकि 36वीं एजीएम, एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति अनावश्यक हो गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा 36वीं एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

As per the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Since the 36th AGM is being held through VC as per the MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be made available for the 36th AGM and hence the Proxy Form, Attendance Slip and Route Map are not annexed to this Notice.

9. कॉर्पोरेट सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उनकी ओर से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। यह संकल्प/अधिकार-पत्र amitagcs@gmail.com के पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से और एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com को भेजते हुए संवीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

Corporate Members are required to send a certified copy of the Board resolution authorizing their representative to attend the AGM through VC and vote on their behalf. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through its registered email address to amitagcs@gmail.com with a copy marked to evoting@kfintech.com.

10. यदि बैठक में संयुक्त धारक भाग ले रहे हैं, तो केवल ऐसा संयुक्त धारक ही वोट के लिए हकदार होगा, जो नामों में उच्च क्रम पर है।

In case of joint holders attending the meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

11. सदस्यों के लिए रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 4 सितंबर, 2022 से बुधवार, 21 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

The Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Sunday, September 4, 2022 to Wednesday, September 21, 2022 (both days inclusive).

12. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 36वीं एजीएम की सूचना और साथ में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीयों के पास दर्ज है। कृपया सदस्य यह नोट करें कि यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट <https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/>, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटेक, आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

In line with the MCA Circulars, the notice of the 36th AGM along with the Annual Report 2021-22 are being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members may please note that this Notice and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at <https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFintech, RTA at <https://evoting.kfintech.com/>

13. जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, के पास अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे 36वीं एजीएम के लिए शेयरधारकों के ई-मेल पतों के अस्थायी पंजीकरण के लिए केफिनटेक की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर जाएं और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस तथा वोटिंग के लिए अनुदेश प्राप्त करने हेतु लैंडिंग पेज पर उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

Members who have not registered their e-mail address with the Company/Depository Participants, as the case may be, are requested to visit the website of KFintech <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for temporary registration of email id of shareholders for 36th AGM and follow the process as mentioned on the landing page to receive the Annual Report, AGM Notice and Voting Instructions.

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अपेक्षानुसार, रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथा लागू सूचना की मद सं. 3 के अंतर्गत पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल इस सूचना के साथ संलग्न है।

As required by Regulation 36(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a brief profile of the Directors retiring by rotation and seeking re-appointment/appointment under item no. 3, 5, 6, 7 & 8 of the notice in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 is forming part of the notice.

15. निदेशक मंडल द्वारा 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश किए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹10/- प्रति शेयर के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर 12.5% (₹1.25 प्रति शेयर) (टीडीएस की कटौती के अध्यक्षीन) की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान, यदि सदस्यों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, 20 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले उन सदस्यों या उनके मैनडेट को किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 10 जून, 2022 को शामिल हैं। डिमैट शेयरों के संबंध में, लाभांश उन शेयरों के "लाभार्थी स्वामियों" को देय होगा, जिनके नाम 10 जून 2022 को कार्य घंटों की समाप्ति पर नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल हैं।

The final dividend @ 12.5% (₹1.25 per share) (subject to deduction of TDS) on the face value of the paid-up equity shares of ₹10/- per share for the FY 2021-22 as recommended by the Board of Directors in its meeting held on May 25, 2022, if approved by the members at the Annual General Meeting, will be paid on or before October 20, 2022 to the Members or their mandates whose names appear on the Company's Register of Members on June 10, 2022 in respect of physical shares. In respect of dematerialized shares, the dividend will be payable to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours on June 10, 2022.

16. वित्त अधिनियम, 2020 और 2021 के प्रावधानों द्वारा यथा संशोधित और उसके साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य है। कंपनी को अपने शेयरधारकों को लाभांश आय के वितरण पर लागू दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी अपेक्षित है। टीडीएस काटने की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ श्रेणी के शेयरधारकों जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को छूट दी गई है जबकि अन्य श्रेणी जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए कर की कटौती 20%

(प्लस अधिभार और उपकर) या दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के तहत लागू कर की लाभकारी दर पर की जानी होगी।

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended by and read with the provisions of the Finance Acts, 2020 and 2021 dividend declared and paid by the Company after April 1, 2020, is taxable in the hands of shareholders. The Company is required to deduct the tax at source on the distribution of dividend income to its shareholders at the applicable rates. The rate for deducting TDS may vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted to the Company in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961. Certain category of shareholders such as Mutual Funds and Insurance Companies are exempted while for other category like Foreign Portfolio Investor tax has to be deducted at 20% (plus surcharge and cess) or at a beneficial tax rate applicable under Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA).

टीडीएस के लिए लागू दर का निर्धारण करने के लिए कंपनियों को शेयरधारकों की कुछ श्रेणियों को कुछ विवरण और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों आदि की श्रेणी के शेयरधारकों के संबंध में कहें तो कंपनियां टीडीएस दरों का निर्धारण करने के लिए पैन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, स्व-घोषणा आदि जैसे कुछ दस्तावेज मांगती हैं। लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक ऐसी कंपनी को शेयरधारकों द्वारा ये विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। समान्यतः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों आदि जैसे शेयरधारकों के संबंध में, ये विवरण और दस्तावेज शेयरधारकों की ओर से लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक कंपनी को उनके संरक्षक द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

Companies require certain categories of shareholders to submit few details and required documents in order to determine the applicable rate for TDS. Say for example in respect of shareholders in category of Mutual Funds, Insurance companies, etc. companies seek certain set of documents like PAN, registration certificate, self-declaration, etc. in order to determine TDS rates. These details and documents are required to be provided by shareholders to every such company who declare dividends. Generally in respect of shareholders like Mutual Funds, Insurance companies, Foreign Portfolio Investors, etc. these details and documents are provide by their custodian on behalf of shareholders to every such company which is declaring dividend.

आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात भारत में स्थापित बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) तथा गैर-आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने संबंधित संरक्षक, जो एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर उपर्युक्त समय-सीमा पर या उससे पहले पंजीकृत है, के माध्यम से वैकल्पिक रूप से संबंधित फॉर्म/घोषणा/दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

The Resident Non-Individual Members i.e. Insurance companies, Mutual Funds and Alternative Investment Fund (AIF) established in India and Non-Resident Non-Individual Members i.e. Foreign Institutional Investors and Foreign Portfolio Investors may alternatively submit the relevant forms / declarations / documents through their respective custodian who is registered on NSDL platform, on or before the aforesaid timelines.

यदि एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पहले से दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, तो यह संरक्षक को अपने म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनियों/एफपीआई ग्राहकों के दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प प्रदान करेगा, जो संरक्षक से प्राप्त कई ईमेल को ट्रैक करने के लिए जारीकर्ता/आरटीए की आवश्यकता के बिना रिकॉर्ड तिथि तक लाभार्थी स्थिति के अनुसार आरटीए में स्वतः डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा, जिन डीमैट खातों के लिए निवेशक दस्तावेज डाउनलोड किए गए हैं, उनके विवरण संबंधी रिपोर्ट जारीकर्ता/आरटीए के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें समाधान की सुविधा प्राप्त होगी।

This will provide an alternative to custodians to upload documents of their mutual fund/insurance companies/ FPI clients if already not done on NSDL platform, which will be auto downloaded to RTAs as per the beneficiary positions as of a record date without a need for Issuer / RTAs to track several emails received from custodians. Further, reports containing details of demat accounts for which investor documents are downloaded will be available to issuers/RTAs, thereby facilitating reconciliation.

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में अथवा आम बैठक में यथानिर्धारित किसी अन्य तरीके से उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, निदेशक मंडल को, बोर्ड द्वारा यथा उपयुक्त तरीके से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are to be appointed or reappointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) and in pursuant to Section 142 of the Companies Act, 2013, their remuneration has to be fixed by the Company in the Annual General Meeting or in such manner as the Company in general meeting may determine. The Comptroller and Auditor General of India shall appoint the Statutory Auditors of the Company for the FY 2022-23 under section 139 of the Companies Act, 2013. The members may authorize the Board of Directors to fix an appropriate remuneration of Auditors for the FY 2022-23 as may be deemed fit by the Board.

18. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में रखी न गई हो। तदनुसार, भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज्ड रूप में रखें ताकि वे उन्हें आसानी से अंतरण कर सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।

In accordance with the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, effective from April 1, 2019, transfers of securities of the Company shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, shareholders holding equity shares in physical form are urged to have their shares dematerialized so as to be able to freely transfer them and participate in corporate actions.

19. सेबी के दिनांक 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों को पैन, पिन के साथ पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन करना अनिवार्य है। फोलियो, जिसमें अप्रैल 01, 2023 को या उसके बाद उल्लिखित दस्तावेज/विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होता है, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, the furnishing of PAN, Address with PIN, email address, mobile number, bank account details and nomination by holders of physical securities is mandated. Folios, wherein any one of the cited document / details are not available on or after April 01, 2023, shall be frozen by the Registrars and Transfer Agent of the Company (RTA).

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावा की गई लाभांश की राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करनी आवश्यक है। जिन शेयरों के संबंध में लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्ष या अधिक अवधि तक के लिए दावा नहीं किया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। जिन सदस्यों के संबंध में अदावा की गई लाभांशों/शेयरों की राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दी गई है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं। निवेशकों के ब्यौरे (जिनका भुगतान बकाया है) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।

Pursuant to Section 124 read with Section 125 of the Companies Act, 2013, the dividend amounts which remain unpaid/unclaimed for a period of seven years, are required to be transferred to the Investors Education & Protection Fund of the Central Government. The shares in respect of which the dividends have not been paid or claimed for a period of seven consecutive years or more, are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. The Members, whose unclaimed dividends/shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. The details of investors' (whose payment is due) are available on company's website so as to enable the investors to claim the same.

21. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) में डेट प्रस्तुत/अपडेट करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से उनका भुगतान कर सके। जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, वे ईसीएस में डेट फॉर्म प्राप्त करके केफिनटेक, कंपनी के

आरटीए को भेज सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, वे ईसीएस मंडेट फॉर्म प्राप्त करे और सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन्होंने पहले ही ईसीएस मंडेट फॉर्म कंपनी/आरटीए/डीपी को प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें पूरा ब्यौरा पुनः भेजने की जरूरत नहीं है।

Members are advised to submit/update their Electronic Clearing System (ECS) mandates, to enable the Company to make remittance by means of ECS. Those holding shares in physical form may obtain and send the ECS Mandate Form to KFintech, RTA of the Company. Those holding shares in Electronic Form may obtain and send the ECS Mandate Form directly to their Depository Participant (DP). Those who have already furnished the ECS Mandate Form to the Company/ RTA/DP with complete details need not send it again.

22. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी पैन संख्या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को भेजें, जिनके पास वे अपने डीमैट खाते को मंटेन कर रहे हैं।

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts.

23. भौतिक रूप में मल्टीपल फोलियो में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी अथवा केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने हेतु आवेदन करें। ऐसे सदस्यों को, अपेक्षित बदलाव करने के बाद समेकित शेयर प्रमाण-पत्र के स्थान पर पुष्टीकरण पत्र जारी किया जाएगा।

Members holding shares in multiple folios in physical mode are requested to apply for consolidation of their holdings in one folio to the Company or KFintech, RTA of the Company alongwith relevant Share Certificates. A letter of confirmation will be issued in lieu of consolidated share certificate to such Members after making requisite changes.

24. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित प्रारूप में शेयरों अथवा किसी अन्य मामले में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब डिवीजन, समेकन और/अथवा नाम, पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि में बदलाव से संबंधित समस्त पत्राचार कंपनी के आरटीए को भेजें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।

Members who hold shares in physical form are requested to send all correspondence concerning transmission, transposition, sub-division, consolidation of shares or any other related matter and/or change in name, address, email address, telephone/ mobile numbers, nominations, power of attorney, or bank details such as, name of the bank and branch details,

bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to RTA of the Company in prescribed format and in case of shares held in electronic mode, to their respective Depository Participants

25. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कोई नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत अनुमत है, से अनुरोध किया जाता है कि वे केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को निर्धारित प्रारूप में लिखें। यदि शेयर डीमैटीरियाइज्ड रूप में हैं तो संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास नामांकन दर्ज कराएं।

Members desirous of making a nomination in respect of their shareholding in the Company, as permitted under Section 72 of the Companies Act, 2013, are requested to write to KFintech, RTA of the Company in the prescribed form. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective Depository Participant.

26. वित्तीय विवरणों और इस बैठक की कार्यवाही की किसी अन्य मद(ओं) के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के कंपनी सचिव को agm2022@pfcindia.com पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले भेजें। कंपनी द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

Members desirous of getting any information on financial statements and any other item(s) of business of this Meeting are requested to address their queries to Company Secretary of the Company through email on agm2022@pfcindia.com at least fifteen days prior to the date of the meeting. The same will be replied by the Company suitably.

27. संबंध सूचना और स्पष्टीकरण विवरण तथा सांविधिक रजिस्टर में उल्लिखित समस्त दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात् 21 सितंबर, 2022 तक कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे।

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement and Statutory Registers shall be available electronically on Company's website at www.pfcindia.com from the date of circulation of this Notice, up to the date of AGM i.e. September 21, 2022.

2. संकल्पों के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों। घोषित किए गए परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर और केफिनटेक की वेबसाइट (<https://evoting.kfintech.com>) पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

The Results on resolutions shall be declared after the Annual General Meeting of the Company and the resolutions will be deemed to be passed on the Annual General Meeting date subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the Resolutions. The Results declared along with the Scrutinizer's Report(s) will be available on the website of the Company (www.pfcindia.com) and on KFintech's website (<https://evoting.kfintech.com>) and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग/ VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को इस बैठक में विचार की जाने वाली मर्दों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिनटेक की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया है।

In compliance with provisions of Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as well as Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is offering Remote E- voting facility to all the Shareholders of the Company in respect of items to be transacted at this Meeting. The Company has engaged the services of KFintech for facilitating remote e-voting for AGM.

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 सितंबर, 2022 को प्रातः 10:00 बजे से शुरू होकर 20 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5.00 बजे तक रहेगी। केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल उसी दिन 5.00 बजे अपराह्न में बंद कर दिया जाएगा।

The remote e-voting period shall commence at 10.00 a.m. on September 18, 2022 and will end at 5.00 p.m. on September 20, 2022. The e-voting module shall be disabled by KFintech at 5.00 p.m. on the same day.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना वोट देने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

Procedure and Instructions for Remote e-voting are given hereunder. All members are requested to read those instructions carefully before casting their e-vote.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश/ Procedure and Instructions for remote e-voting

- I. कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले **व्यक्तिगत शेयरधारकों** द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए अनुदेश

Instructions for remote e-voting by **Individual shareholders** holding shares of the company in Demat mode.

सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित परिपत्र के अनुसार, कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक, डिपॉजिटरियों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट पर उनके डीमैट खाते के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तदनुसार, डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी

प्रतिभागियों द्वारा यथा विकसित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लॉगिन करने और एक्सेस करने के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

As per SEBI circular on e-voting Facility, dated December 9, 2020, all individual shareholders holding shares of the Company in the demat mode can cast their vote, by way of single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Accordingly, the procedure to login and access remote e-voting, as devised by the Depositories/ Depository Participant(s), is given below:

शेयरधारकों का प्रकार Type of shareholders	लॉगिन की पद्धति Login Method
<p>एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/ Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत यूजर के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. https://eservices.nsdl.com पर जाएं। II. 'आईडीईएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिसियल ऑनर' पर क्लिक करें। III. नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद 'ई-वोटिंग एक्सेस' पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। <p>User already registered for IDeAS facility:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Visit URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period. <p>2. जो यूजर आईडीईएस ई-सर्विसिज के लिए पंजीकृत नहीं है, उनके लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. पंजीकरण के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। II. 'आईडीईएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण' चुने अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। III. अपेक्षित फील्ड को भरते हुए आगे बढ़ें। IV. बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें। <p>User not registered for IDeAS e-Services</p>

	<p>I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. Select “Register Online for IDeAS” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>III. Proceed with completing the required fields.</p> <p>IV. Follow steps given in points 1</p> <p>3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट को सीधे एक्सेस करके:</p> <p>I. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें।</p> <p>II. ‘लॉगिन’ आइकॉन पर क्लिक करें, जो कि ‘शेयरधारक/सदस्य’ सेक्शन में उपलब्ध है।</p> <p>III. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 डिजिट का डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, डालना होगा।</p> <p>IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम अर्थात केफिनटेक का चयन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।</p> <p>V. सफलतापूर्वक चयन करने के बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर ले जाया जाएगा।</p> <p>Alternatively by directly accessing the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. Open URL: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.</p> <p>III. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password / OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will requested to select the name of the company and the e-Voting Service Provider name, i.e.KFintech.</p> <p>V. On successful selection, you will be redirected to KFintech e-Voting page for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>
<p>सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत</p>	<p>1. मौजूदा यूजर, जिन्होंने ईजी/ ईजियस्ट के लिए विकल्प किया है:</p> <p>I. यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं।</p> <p>II. न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें।</p> <p>III. अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।</p>

शेयरधारक/ Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

IV. यूजर को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देखा। मेन्यू में ईएसपी अर्थात केफिनटेक ई-वोटिंग पोर्टल के लिए लिंक होगा।

V. वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।

Existing user who have opted for Easi / Easiest

- I. Visit URL: <https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login> or URL: www.cdslindia.com
- II. Click on New System Myeasi
- III. Login with your registered user id and password.
- IV. The user will see the e-Voting Menu. The Menu will have links of ESP i.e. KFintech e-Voting portal.
- V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.

2. जो यूजर ईजी/ ईजियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं:

- I. पंजीकरण के लिए विकल्प <https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration> पर उपलब्ध है।
- II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें।
- III. बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें।

User not registered for Easi/Easiest

- I. Option to register is available at <https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration>
- II. Proceed with completing the required fields.
- III. Follow the steps given in point 1

3. वैकल्पिक रूप से, सीएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा सीधे एक्सेस करके:

- I. यूआरएल : www.cdslindia.com पर जाएं।
- II. अपना डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करें।
- III. सिस्टम द्वारा, रजिस्टर्ड मोबाइल और ई-मेल पर, जो डीमैट खाते में दर्ज है, ओटीपी भेजकर यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद यूजर को संबंधित ईएसपी अर्थात केफिनटेक के लिए लिंक दिया जाएगा, जहां पर कि ई-वोटिंग हो रही है।

Alternatively, by directly accessing the e-Voting website of CDSL

- I. Visit URL: www.cdslindia.com
- II. Provide your demat Account Number and PAN No.
- III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account.
- IV. After successful authentication, user will be provided links for

<p>अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/ Individual Shareholder login through their demat accounts / Website of Depository Participant</p>	<p>the respective ESP, i.e KFintech where the e- Voting is in progress.</p> <p>I. ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।</p> <p>II. लॉगिन कर लेने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ले जाया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग का फीचर देख सकते हैं।</p> <p>III. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - केफिनटेक के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान बिना आगे प्रमाणीकरण किए, अपना वोट देने के लिए केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।</p> <p>I. You can also login using the login credentials of your demat account through your DP registered with NSDL /CDSL for e-Voting facility.</p> <p>II. Once logged-in, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature.</p> <p>III. Click on options available against company name or e-Voting service provider – Kfintech and you will be redirected to e-Voting website of KFintech for casting your vote during the remote e-Voting period without any further authentication.</p>
---	--

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध फोरगॉट यूजर आईडी और फोरगॉट पासवर्ड के विकल्प का प्रयोग करें।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forgot user ID and Forgot Password option available at respective websites.

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क।

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

व्यक्तिगत सदस्य, जो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से वोट दे रहे हैं, वे हेल्पलाइन/ संपर्क विवरण पर उनके संबंधित डीपी से संपर्क करें।
Individual Members who are voting through the facilities provided by their Depository Participants, contact their respective Depository Participants on their helpline/contact details.

लॉगिन टाइप/ Login type	हेल्प डेस्क ब्यौरा / Helpdesk details
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूति/ Securities held with NSDL	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर फोन करके एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें। Please contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूति/ Securities held with CDSL	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या हेल्प डेस्क 022- 23058738 अथवा 022-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क करें। Please contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

- II डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन का तरीका।

Login method for e-voting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

- (क) यदि सदस्य केफिनटेक से ई-मेल प्राप्त कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों के लिए लागू, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं)

In case of Members receiving an e-mail from KFintech [applicable to members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s)]:

- किसी इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और <https://emeetings.kfintech.com/> खोलें।
Launch an internet browser and open <https://emeetings.kfintech.com/>
- लॉगिन क्रेडेंशियल डालें (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड)। फिजिकल फोलियो के मामले में, यूजर आईडी, ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) 6904, के बाद फोलियो नंबर होगा। यदि डीमैट खाता है तो यूजर आईडी आपका डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होगा। तथापि, यदि आप पहले से ही केफिनटेक के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

Enter the login credentials (i.e. User ID and password). In case of physical folio, User ID will be EVEN (E-Voting Event Number) 6904, followed by folio number. In case of Demat account, User ID will be your DP ID and Client ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your vote.

- iii. उपर्युक्त ब्यौरे दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
After entering the above details Click on - Login.
- iv. पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद का नया पासवर्ड डाल कर पासवर्ड बदलें। नए पासवर्ड में कम-से-कम 8 कैरेक्टर होंगे, जिनमें कम-से-कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोवर केस (ए-जेड); एक अंक (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर(@, #, \$, आदि) होगा। सिस्टम आपको पहली बार में लॉगिन पर अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आदि अपडेट करने लिए भी कहेगा। आप एक गुप्त प्रश्न भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भूलने की स्थिति में पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का उत्तर डाल सकते हैं। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और आप पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना होगा।

Password change menu will appear. Change the Password with a new Password of your choice. The new password shall comprise minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.) The system will also prompt you to update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login. You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential. You need to login again with the new credentials.

- v. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर सिस्टम आपको तुरंत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईवीईएन का चयन करने और 'सबमिट' पर क्लिक करने के लिए कहेगा।
On successful login, the system will prompt you to select the EVEN of Power Finance Corporation Limited and click on 'Submit'.
- vi. वोटिंग पेज पर 'फोर/अगेंस्ट' के अंतर्गत नियत तारीख अर्थात 15 सितंबर, 2022 तक शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप 'फोर' और 'अगेंस्ट' के लिए कोई अलग संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'फोर'/'अगेंस्ट' में कुल संख्या मिलाकर आपकी ऊपर दी गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होगी। आप 'एब्सटेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि सदस्य 'फोर' अथवा 'अगेंस्ट' का उल्लेख नहीं करता तो उसे 'एब्सटेन' माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।

On the voting page, enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the Cut-off Date i.e. September 15, 2022 under "FOR/AGAINST" or alternatively, you may partially enter any number in "FOR" and partially "AGAINST" but the total number

in “FOR/AGAINST” taken together shall not exceed your total shareholding as mentioned herein above. You may also choose the option ABSTAIN. If the Member does not indicate either “FOR” or “AGAINST” it will be treated as “ABSTAIN” and the shares held will not be counted under either head.

- vii. इसके अतिरिक्त, अनेक फोलियो/डीमैट खातों को धारण करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/डीमैट खातों के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।
Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat accounts.
- viii. सूचना की प्रत्येक मद के लिए अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी भी संबंधित मद पर वोट नहीं करना चाहते हैं तो इसे ‘एब्सटेन’ माना जाएगा।
Voting has to be done for each item of the notice separately. In case you do not desire to cast your vote on any specific item, it will be treated as abstained.
- ix. तब आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके और ‘सबमिट’ पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं।
You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on “Submit”.
- x. एक पुष्टि का बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए ‘ओके’ पर क्लिक करें अथवा संशोधन करने के लिए ‘कैंसल’ पर क्लिक करें। एक बार जब आपने संकल्प पर वोट दे दिया है, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग की अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प पर वोट देने तक चाहे जितनी बार लॉगिन कर सकते हैं।
A confirmation box will be displayed. Click “OK” to confirm else “CANCEL” to modify. Once you have voted on the resolution (s), you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Members can login any number of times till they have voted on the Resolution(s).
- xi. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित हस्ताक्षर नमूनों के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (पीडीएफ फार्मेट में) संवीक्षक को ई-मेल आईडी amitagcs@gmail.com पर और उसकी प्रतिलिपि evoting@kfintech.com पर भी भेजनी अपेक्षित है। उपर्युक्त दस्तावेज की स्कैन की गई ईमेज ‘कॉर्पोरेट नाम_इवेंट नं.’ फार्मेट में होनी चाहिए।
Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are also required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., together with attested specimen signature(s) of the duly authorised representative(s), to the Scrutinizer at email ID: amitagcs@gmail.com with a copy marked to evoting@kfintech.com. The scanned image of the above mentioned documents should be in the naming format “Corporate Name_Event No.”

- (ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे कृपया ई-वोटिंग के लिए ई-मेल पता, पंजीकरण करने और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने वाले स्टेप का अनुसरण करें

In case of Members who have not registered their e-mail address, please follow the steps for registration of e-mail address and obtaining User ID and Password for e-voting.

- ोर जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्रदान नहीं किए जा सके हैं, वे <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> लिंक से अस्थायी रूप से केफिनटेक के पास उपलब्ध कराए गए अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ सूचना और ई-वोटिंग अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी भेजकर ई-मेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें। यदि कोई प्रश्न हो तो सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

Members who have not registered their email address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number provided with KFintech, by accessing the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> . Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, member may write to einward.ris@kfintech.com .

- ii. वैकल्पिक रूप से, सदस्य यदि इलेक्ट्रॉनिक फोलियो है, तो ई-मेल पते, मोबाइल नंबर, स्वयं की सत्यापित पैन की प्रतिलिपि और क्लाइंट मास्टर की प्रतिलिपि तथा यदि भौतिक रूप में फोलियो है, तो शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना भेजने के लिए प्रदान करते हुए अनुरोध-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि के साथ ई-मेल einward.ris@kfintech.com पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

Alternatively, member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report and Notice of AGM.

- iii. कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट देने के लिए उपर्युक्त सभी स्टेप का अनुसरण करें।

Please follow all steps above to cast your vote by electronic means.

- III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप हेल्प और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं, जो केफिनटेक की वेबसाइट

<https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है अथवा आप सुश्री स्वाति रेड्डी (यूनिट: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।

In case of any queries, you may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available in the downloads section of KFintech's website <https://evoting.kfintech.com> or contact Ms. Swati Reddy (Unit: POWER FINANCE CORPORATION LIMITED), at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

- IV. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और नियत तारीख अर्थात 15 सितंबर, 2022 को अथवा उससे पूर्व शेयर अर्जित किए हैं, वे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and on or before the cut-off date i.e. September 15, 2022, may obtain the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means as follows:

- क) यदि सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर, फोलियो सं./डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के लिए पंजीकृत है:

If the e-mail or mobile number of the member is registered against Folio No./ DP ID Client ID:

सदस्य **9212993399** पर एसएमएस : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं।

The member may send SMS: MYEPWD <space> Event number+Folio No. or DP ID Client ID to **9212993399**

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
भौतिक के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> POW1234567

Example for NSDL : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678

Example for CDSL : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678

Example for Physical : MYEPWD <SPACE> POW1234567

अथवा/OR

सदस्य <https://evoting.kfintech.com> के होम पेज पर जा सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए 'फोरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करके फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन संख्या डाल सकते हैं।

The member may go to the home page of <https://evoting.kfintech.com>, and click “forgot password” and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.

- ख) यदि सदस्य को एजीएम के दौरान अथवा पहले कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक के टोल फ्री नं.1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उन्हें einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

Members who may require any technical assistance or support before or during the AGM are requested to contact KFintech at toll free number 1-800-309-4001 or write to them at einward.ris@kfintech.com.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश/ INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC:

1. सदस्य 'वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब' को क्लिक करके और <https://emeetings.kfintech.com/> पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके, जो केफिनटेक से प्राप्त मेल में प्रदान किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। वीडियो सिंबल पर क्लिक करके बैठक में शामिल होने के लिए बैठक को स्वीकार करें। कृपया यह नोट करें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं अथवा जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे इस सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

Members may access the platform to attend the AGM through VC at <https://emeetings.kfintech.com/> by clicking “Video Conference tab” and login through the user id and password provided in the mail received from KFintech. The link for the AGM will be available in the shareholder/members login where the “Event” and the “Name of the company” can be selected. Click on the video symbol and accept the meeting etiquettes to join the meeting. Please note that the Members who have not registered their e-mail address or do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in this Notice.

2. एजीएम में शामिल होने के लिए सुविधा, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगी और ऐसे नियत समय के 15 मिनट के बाद समाप्त होगी।

The facility for joining the AGM shall open 15 minutes before the scheduled time for commencement of the AGM and shall be closed after the expiry of 15 minutes after such schedule time.

3. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर) का इस्तेमाल करके बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Members are encouraged to join the Meeting using Google Chrome (preferred browser) for better experience.

4. सदस्यों को दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वेब केम की सुविधा प्रदान करनी होगी।

Members will be required to grant access to the web-cam to enable two-way video conferencing.

5. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो रुकावट आ सकती है।

Members are advised to use stable Wi-Fi or LAN connection to participate at the AGM through VC in a smooth manner. Participants may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective networks.

6. जो सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://emeetings.kfintech.com/> पर विजिट कर सकते हैं और अपना नाम, डिमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर डालकर, प्रदान किए गए विंडो में अपने प्रश्न पूछने के लिए 'पोस्ट योर क्वेश्चन' टेब पर क्लिक करें। यह विंडो 18 सितंबर, 2022 से 19 सितंबर, 2022 तक सक्रिय रहेगी।

Members who may want to express their views or ask questions may visit <https://emeetings.kfintech.com/> and click on the tab "Post Your Questions" to post their queries in the window provided, by mentioning their name, demat account number/folio number, email ID and mobile number. The window shall remain active from September 18, 2022 and September 19, 2022.

7. उपर्युक्त स्टैप के अतिरिक्त, जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहें, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए एजीएम के लिए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, तदनुसार, सदस्य <https://emeetings.kfintech.com/> पर जाकर 18 सितंबर, 2022 से 19 सितंबर, 2022 तक 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'क्यू नंबर' दिया जाएगा। कंपनी के पास केवल उतने सदस्यों को ही एजीएम में बोलने के लिए सीमित रखने का अधिकार है, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

In addition to the above mentioned step, the Members who wish to speak during the meeting may register themselves as speakers for the AGM to express their views. Accordingly, the Members may visit <https://emeetings.kfintech.com/> and click on 'Speaker Registration' during the period from September 18, 2022 and September 19, 2022. Members shall be provided a 'queue number' before the AGM. The company reserves the right to restrict the speakers at the AGM to only those Members who have registered themselves, depending on the availability of time for the AGM.

8. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र हैं। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को

वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। सदस्य अपना वोट देने के लिए स्क्रीन के बायीं ओर वोटिंग आइकन (अंगूठे के निशान) पर क्लिक कर सकते हैं।

Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting system available during the AGM. E-voting during the AGM is integrated with the VC platform. Members may click on the voting icon (“Thumb sign”) on the left side of the screen to cast their votes.

9. यदि किसी सदस्य को एजीएम से पूर्व अथवा एजीएम के दौरान कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर उन्हें लिख सकते हैं।

Members who may require any technical assistance or support before or during the AGM are requested to contact KFintech Limited at toll free number 1-800-309-4001 or write to them at evoting@kfintech.com.

सूचना में निर्धारित विशेष कार्यवाही के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण।

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE.

मद सं. 5 / Item No. 5

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

The following statement sets out the material facts relating to the special business mentioned in item No.5 of the accompanying Notice:

श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन:03523954) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के पत्र सं. 24-8/1/2020-पीएफसी (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 28 अक्टूबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री राजीव रंजन झा की नियुक्ति को विनियमित करने वाली निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

Sh. Rajiv Ranjan Jha (DIN: 03523954) was appointed as Director (Projects) of the Company by the President of India through Ministry of Power vide communication no. 24-8/1/2020-PFC (MoP) dated October 28, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, was appointed as an Additional Director by the Board of Directors

with effect from October 28, 2021 until the date of this Annual General Meeting. The terms and conditions regulating the appointment of Sh. Rajiv Ranjan Jha would be as determined by the Government of India from time to time.

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति देते हुए प्रदान किया जा रहा है जो इस सूचना का भाग है।

His brief resume, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area is being provided which forms part of this notice.

श्री राजीव रंजन झा, संकल्प के प्रति रुचि रखते हैं।

Sh. Rajiv Ranjan Jha, is concerned and interested, in the resolution.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

Further, no other Directors or Key Managerial Personnel or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in passing of the said Resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 5 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

The Board recommends the resolution given at Sr. No. 5 of this notice for your approval as an Ordinary Resolution.

मद सं. 6 / Item No. 6

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

The following statement sets out the material facts relating to the special business mentioned in item No.6 of the accompanying Notice:

श्री भास्कर भट्टाचार्य (डीआईएन:09406292) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री भास्कर भट्टाचार्य की नियुक्ति को विनियमित करने वाली निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

Shri Bhaskar Bhattacharya (DIN:09406292) was appointed as part-time Non Official Director of the Company by the President of India through Ministry of Power vide communication no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the

recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, was appointed as an Additional Director (part-time Non Official Director) (Independent Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 until the date of this Annual General Meeting. The terms and conditions regulating the appointment of Shri Bhaskar Bhattacharya would be as determined by the Government of India from time to time.

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति देते हुए प्रदान किया जा रहा है जो इस सूचना का भाग है।

His brief resume, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area is being provided which forms part of this notice.

श्री भास्कर भट्टाचार्य, संकल्प के प्रति रुचि रखते हैं।

Shri Bhaskar Bhattacharya, is concerned and interested, in the resolution.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

Further, no other Directors or Key Managerial Personnel or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in passing of the said Resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 6 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

The Board recommends the resolution given at Sr. No. 6 of this notice for your approval as an Ordinary Resolution.

मद सं. 7 / Item No. 7

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 7 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

The following statement sets out the material facts relating to the special business mentioned in item No.7 of the accompanying Notice:

श्रीमती उषा सजीव नायर (डीआईएन:09408454) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती उषा सजीव नायर की नियुक्ति को विनियमित करने वाली निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

Smt. Usha Sajeev Nair (DIN:09408454) was appointed as part-time Non Official Director of the Company by the President of India through Ministry of Power vide communication no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, was appointed as an Additional Director (part-time Non Official Director) (Independent Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 until the date of this Annual General Meeting. The terms and conditions regulating the appointment of Smt. Usha Sajeev Nair would be as determined by the Government of India from time to time.

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति देते हुए प्रदान किया जा रहा है जो इस सूचना का भाग है।

Her brief resume, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area is being provided which forms part of this notice.

श्रीमती उषा सजीव नायर, संकल्प के प्रति रुचि रखते हैं।

Smt. Usha Sajeev Nair is concerned and interested, in the resolution.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

Further, no other Directors or Key Managerial Personnel or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in passing of the said Resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 7 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

The Board recommends the resolution given at Sr. No. 7 of this notice for your approval as an Ordinary Resolution.

मद सं. 8 / Item No. 8

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

The following statement sets out the material facts relating to the special business mentioned in item No.8 of the accompanying Notice:

श्री प्रसन्ना तंत्री (डीआईएन:06471864) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र सं. एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, 23 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (स्वतंत्र

निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री प्रसन्ना तंत्री की नियुक्ति को विनियमित करने वाली निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

Shri Prasanna Tantri (DIN:06471864) was appointed as part-time Non-Official Director of the Company by the President of India through Ministry of Power vide communication no. F.No.8/1/2012-PFC Desk (Vol II) dated November 15, 2021 and subsequently on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, was appointed as an Additional Director (part-time Non Official-Director) (Independent Director) by the Board of Directors with effect from December 23, 2021 until the date of this Annual General Meeting. The terms and conditions regulating the appointment of Shri Prasanna Tantri would be as determined by the Government of India from time to time.

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति देते हुए प्रदान किया जा रहा है जो इस सूचना का भाग है।

His brief resume, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area is being provided which forms part of this notice.

श्री प्रसन्ना तंत्री, संकल्प के प्रति रुचि रखते हैं।

Shri Prasanna Tantri is concerned and interested, in the resolution.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

Further, no other Directors or Key Managerial Personnel or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in passing of the said Resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 8 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

The Board recommends the resolution given at Sr. No. 8 of this notice for your approval as an Ordinary Resolution.

मद सं. 9 / Item No. 9

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 9 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

The following statement sets out the material facts relating to the special business mentioned in item No.9 of the accompanying Notice:

कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक "महारत्न" सीपीएसई है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारकर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(एनबीएफसी) है। कंपनी वर्तमान में विद्युत क्षेत्र की वित्तपोषण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने से जुड़ी है। बदलते व्यावसायिक वातावरण में उभरते अवसरों की संभावित सिनर्जी का लाभ उठाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को इसकी वित्तपोषण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा के लिए, संगम-जापन के 'उद्देश्य जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है' शीर्षक के खंड III(ए) में निम्नलिखित नए उप-खंड 7 को सम्मिलित करके कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव है-

The Company is a “MAHARATNA” CPSE under the administrative control of Ministry of Power, Govt. of India and a notified public financial institution under the provisions of the Companies Act, 2013 as also a systemically important non-deposit taking Non-Banking Financial Company (NBFC) classified as an Infrastructure Finance Company by the Reserve Bank of India. The Company is presently engaged in providing financial assistance to Power Utilities for meeting financing and development requirements of the Power Sector. In order to leverage potential synergies of emerging opportunities in the changed business environment and to facilitate providing financial assistance to Infrastructure Sector for meeting its financing and development requirements, it is proposed to expand the objects of the company by insertion of following new sub-clause 7 in Clause III(A) of Memorandum of Association titled ‘Objects for which the Company is established’-

- 7. भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक रसद (लोजिस्टिक्स) और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना।”*
- 7. To lend to Logistics and Infrastructure sectors to the extent permitted by the Government of India.”*

निदेशक मंडल ने कंपनी के संगम-जापन के बदलाव को अनुमोदित किया है जो विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन और ऐसे अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और प्रतिबंधों के अध्यक्षीन है, जो आवश्यक हो तथा शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2022 के पत्र सं. एफ.नं.24-3/2/2019-पीएफसी (एमओपी) के माध्यम से संगम-जापन में संशोधन को अपना अनुमोदन प्रदान किया है और उक्त के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है। ऑब्जेक्ट खंड के प्रस्तावित बदलाव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है।


The Board of Directors approved alteration of the Memorandum of Association of the Company subject to approval of Ministry of Power and such other approvals, permissions and sanctions, as may be necessary and subject to approval of shareholders. Ministry of Power, Govt. of India vide letter no. F.No.24-3/2/2019-PFC (MoP) dtd. 25th August, 2022, has accorded its approval to the amendment in Memorandum of Association and the approval of the members of the Company is being sought for the same. The proposed change of object clause requires the approval of shareholders through Special Resolution pursuant to the provisions of Section 13 of the Companies Act, 2013.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

Further, no Directors or Key Managerial Personnel or their relatives have any concern or interest, financial or otherwise, in passing of the said Resolution, except to the extent of their shareholding in the Company.

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 9 में दिए गए संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

The Board recommends the resolution given at Sr. No. 9 of this notice for your approval as a Special Resolution.



मद सं. 3, 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत 36वीं एजीएम में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने के लिए निदेशक का ब्यौरा
DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/RE-APPOINTMENT AT 36th AGM UNDER
ITEM NO. 3, 5, 6, 7 and 8

नाम/Name	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा Smt. Parminder Chopra	श्री राजीव रंजन झा Sh. Rajiv Ranjan Jha	श्री भास्कर भट्टाचार्य Shri Bhaskar Bhattacharya	श्रीमती उषा सजीव नायर Smt. Usha Sajeev Nair	श्री प्रसन्ना तंत्री Shri Prasanna Tantri
जन्म तिथि और आयु/ Date of Birth and Age	30.04.1967/55 वर्ष/years	26.04.1966/56 वर्ष/years	15.07.1958/64 वर्ष/years	02.07.1976/46 वर्ष/years	14.10.1981/40 वर्ष/years
अर्हता/ Qualification	वाणिज्य में स्नातक डिग्री और एक अर्हता-प्राप्त कॉस्ट एकाउंटेंट तथा एमबीए हैं। Bachelor's degree in Commerce and is a qualified Cost Accountant and MBA	रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक डिग्री और इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा Bachelor Degree in Science (Mechanical Engg.) from NIT Jamshedpur of Ranchi University and Diploma in Management from IGNOU	बी.कॉम (ऑनर्स) एलएलबी, बिजनेस मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर डिप्लोमा B.Com (Hons.) L.LB, Post Graduate Diploma in Business Management	बी.ए. (स्नातक) B.A.(Gradution)	पीएच.डी., डीकिन विश्वविद्यालय एफपीएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस पीजीपी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईसीडब्ल्यूए, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बी.कॉम, मैंगलोर विश्वविद्यालय Ph.D, Deakin University FPM, Indian School of Business PGP, Indian School of Business ICWA, Institute of Cost Accountants of India B. Com, Mangalore University
नियुक्ति की तारीख/ Date of Appointment	01.07.2020	28.10.2021	23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021

नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तों/ Terms and Conditions of Appointment	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 5 वर्ष के लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>Appointed as Director (Finance) by President of India through Ministry of Power for a period of 5 years w.e.f. 1.07.2020 or till the date of her superannuation or until further orders, whichever is the earlier.</p>	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>Appointed as Director (Projects) by President of India through Ministry of Power for a period from the date of his assumption of charge of the post till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earlier.</p>	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>Appointed as Part time non-official (Independent) Director by President of India through Ministry of Power for a period of three years from the date of his appointment or until further orders.</p>	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>Appointed as Part time non-official (Independent) Director by President of India through Ministry of Power for a period of three years from the date of her appointment or until further orders.</p>	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।</p> <p>Appointed as Part time non-official (Independent) Director by President of India through Ministry of Power for a period of three years from the date of his appointment or until further orders.</p>
पारिश्रमिक/ Remuneration	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।</p> <p>As per standard terms of appointment issued by President of India through Ministry of Power.</p>	<p>विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।</p> <p>As per standard terms of appointment issued by President of India through Ministry of Power.</p>	<p>शून्य/NIL</p>	<p>शून्य/NIL</p>	<p>शून्य/NIL</p>
कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता/ Expertise in Functional Areas	<p>इनके पास विद्युत क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष का अनुभव है जिसमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी) तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) जैसे विद्युत क्षेत्र के प्रमुख संगठन शामिल हैं। इन्होंने वर्ष 2005 में पीएफसी में कार्यग्रहण</p>	<p>वे मार्च 1997 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में कार्यरत हैं। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक</p>	<p>वे वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक हैं और इन्हें कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। इन्हें बिजनेस मैनेजमेंट में स्नाकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त है। वे 25 वर्ष से अधिक समय से</p>	<p>वे दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में अपने स्वयं के व्यवसाय से जुड़ी एक महिला उद्यमी हैं, जो पिछले कुछ समय से कई परिवारों को रोजगार और सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके</p>	<p>श्री प्रसन्ना तंत्री, मेंगलोर विश्वविद्यालय से बी.कॉम की डिग्री प्राप्त हैं और अर्हता-प्राप्त कॉस्ट एकाउंटेंट हैं। इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट</p>

<p>किया और निदेशक (वित्त), पीएफसी के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया। इन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाव, बैंकिंग और ट्रेजरी, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान इत्यादि जैसे अनेक वित्तीय पोर्टफोलियो संभाले हैं।</p> <p>She has around 35 years of experience in power sector, serving in key power sector organizations like National Hydroelectric Power Corporation of India (NHPC) and Power Grid Corporation of India (PGCIL). She joined PFC in 2005 and was working as an Executive Director (Finance) before assuming charge as Director (Finance), PFC. She has handled a gamut of finance portfolios such as resource mobilization from domestic as well as international markets, banking & treasury, asset liability management, stressed assets resolution etc.</p>	<p>की डिग्री और इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन्होंने 34 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और 27 मई, 2019 से कार्यपालक निदेशक (परियोजना), पीएफसी के रूप में पद का निर्वहन कर रहे थे। इससे पूर्व, वे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में राज्य क्षेत्र समन्वय कार्य सहित पश्चिमी क्षेत्र में पीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। इन्होंने इससे पूर्व पीएफसी के साथ प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कंसोर्टियम ऋण में संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्य का निर्वहन किया है। इन्होंने पीएफसी के संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्यों का भी निर्वहन किया है। इन्होंने पीएफसी में परियोजना आकलन (विशेषकर स्वतंत्र निजी विद्युत</p>	<p>अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे हुगली टैक्स एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल टेक्सेशन ट्रिब्यूनल के सदस्य हैं। इन्होंने निबेदन नामक एक गैर-सरकारी संगठन में महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।</p> <p>He is a Graduate in Commerce (Hons.) and has a Bachelor degree in Law. He also holds a Post Graduate Diploma in Business Management. He has been acting as an Advocate for more than 25 years. He is the Chairman of Hooghly Tax Advocates Bar Association and Member of West Bengal Taxation Tribunal. He has also worked as a Gen-Secretary in a NGO named Nibedan.</p>	<p>अतिरिक्त, वे सक्रिय रूप से जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। कोविड महामारी की अवधि में, इन्होंने अपनी सहायता टीम के साथ संकट में पड़े लोगों को भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि प्रदान किए। वे महिलाओं संबंधी मुद्दों के लिए आवाज उठाने, बूढ़े और बेघर लोगों और अनाथों को समर्थन देने संबंधी कार्यों से जुड़ी हैं।</p> <p>She is a female entrepreneur engaged in her own business in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu providing employment and support to a number of families for quite some time now. Besides this, she is actively engaged in social work for upliftment of needy people. In the period of COVID pandemic, She together with her support team provided food, medical supplies, masks, sanitizers, gloves etc to people in distress. She is also engaged in raising women issues, support to</p>	<p>और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी किया है तथा डीकिन यूनिवर्सिटी से पीएच.डी भी की है। वर्तमान में, वे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त क्षेत्र में एसोसिएट प्रोफेसर और आईएसबी में सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस के कार्यकारी निदेशक हैं। इनके शोध क्षेत्रों में बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल कंटेजियन, विनियमन, तथा राजनीति और वित्त के बीच संबंध शामिल हैं।</p> <p>Shri Prasanna Tantri, holds a B.Com degree from Mangalore University and is a qualified Cost Accountant. He has also done Fellow Programme Management and Post Graduate Programme in Management from Indian School of Business and also holds a Ph.D from Deakin University. At present, he is an Associate Professor in the Finance area at the</p>
---	--	--	--	---

		<p>परियोजनाओं के लिए) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं पर भी कार्य किया है। पीएफसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वे नवंबर 1988 से फरवरी 1997 तक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में कार्यरत थे और उनके कोयला आधारित कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ सामग्री आयोजना संबंधी कार्यों का निर्वहन किया है।</p> <p>He has been working with Power Finance Corporation Limited (PFC) since March 1997. He holds a Bachelor Degree in Science (Mechanical Engg.) from NIT Jamshedpur of Ranchi University and a Diploma in Management from IGNOU. He has overall 34 years of experience and had been holding the position as Executive Director (Projects), PFC since May 27, 2019. Previously, he has been handling the PFC's loan portfolio in Western Region including State Sector Coordination Work in the States of</p>		<p>old and homeless people and orphans.</p>	<p>Indian School of Business and Executive Director of the Centre for Analytical Finance at ISB. His research areas include- banking, financial inclusion, financial contagion, regulation, and the relationship between politics and finance.</p>
--	--	---	--	---	--

		<p>Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Goa. He has earlier handled the entire loan portfolio in Consortium Lending with PFC as lead FI. He has also handled the entire Renewable Energy loan portfolio of PFC. He has also worked on Project Appraisal (especially for Independent Private Power Projects) & Ultra Mega Power Projects in PFC. Before joining PFC, he has worked with Visakhapatnam Steel Plant from November 1988 to February 1997 and dealt with Operation and Maintenance of their coal based Captive Power Plant and also in Material Planning.</p>			
<p>वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या और भाग ली गई बैठकों की संख्या/ Number of Meetings of the Board held during the tenure and number of Board Meetings attended</p>	10/10	7/7	5/5	5/5	5/5

कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधन और अन्य केएमपी के साथ संबंध/ Relationship with any other Director, Manager and other KMP of the Company	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कंपनी में धारित शेयरों की सं./ Number of shares held in the company	2000	16004	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
अन्य कंपनियों में निदेशक/ Directorship in other companies	<ul style="list-style-type: none"> • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड/ Coastal Tamil Nadu Power Limited • चेर्यूर इंफ्रा लिमिटेड Cheyyur Infra Limited • पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड PFC Consulting Limited • बिहार मेगा पावर लिमिटेड Bihar Mega Power Limited • देवघर मेगा पावर लिमिटेड Deoghar Mega Power Limited • छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड 	<ul style="list-style-type: none"> • पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड PFC Consulting Limited • उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड Orissa Integrated Power Limited 	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

	<p>Chhattisgarh Surguja Power Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> पीटीसी इंडिया लिमिटेड PTC India Limited आर ई सी लिमिटेड REC Limited 				
<p>सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता (सूचना की तारीख तक)/ Chairman/Membership of committees* across all public companies (as on the date of Notice)</p>	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Power Finance Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> सदस्य, स्टैकधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति / Member, Stakeholders Relationship and Shareholder'/ Investor' Grievance Committee <p>आर ई सी लिमिटेड/ REC Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> सदस्य, लेखापरीक्षा समिति/ Chairman, Audit Committee 	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Power Finance Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> सदस्य, स्टैकधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति / Member, Stakeholders Relationship and Shareholder'/ Investor' Grievance Committee सदस्य, लेखापरीक्षा समिति / Chairman, Audit Committee 	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Power Finance Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> सदस्य, लेखापरीक्षा समिति / Member, Audit Committee 	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Power Finance Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> अध्यक्ष, स्टैकधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति / Chairman, Stakeholders Relationship and Shareholder'/ Investor' Grievance Committee 	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/ Power Finance Corporation Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति / Chairman, Audit Committee
<p>सूचीबद्ध कंपनियों का विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है/ Details of listed entities from which resigned in the past three years</p>	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* इसमें लेखापरीक्षा समिति और शेस्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के अतिरिक्त बोर्ड, समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

Does not include Chairmanship/Membership in Board Committees other than Audit Committee and Stakeholders Relationship and Shareholder'/ Investor' Grievance Committee.